

2024/62 Coms 10

फर्द अहकाम
(नियम 15)

22.4.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
नत्थुराम बनाम बुधराम आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 100 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
19.03.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.04.2024 को पेश हो।</p> <p>22.4.2024</p> <p>वकील वादी ने फार्मिना का प्रिक्वाल पेश किया करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया वकील वादी ने जिबे दन डिग्रा डि वकील वकील को राजीनामा देने के कारण बाद पत्र भंगे नहीं चलाना करते हैं। मौजूदा स्थिति में लाबीज करवाना चाहते हैं। भद. बाद पत्र मौजूदा स्थिति में लाबीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तरीक वकालील जाता है। डिग्रा डिग्रा</p>	<p>राजीनामा दी है। के बावजूद आगे नहीं चलाना। चाहते हैं। नत्थुराम का नाम Kumar</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

